संख्या-164/2016/812/22-2-2016-17(209)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, कन्नौज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामस्वरूप पुत्र श्री रामेश्वर दयाल निवासी जनपद-कन्नौज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कन्नौज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामस्वरूप पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी-पाला, थाना-तिर्वा, जिला-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी ने विद्यालय जा रही कक्षा 09 में पढ रही लड़की का अपहरण कर 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 30.12.1994 को नाबालिग लड़की नीतू देवी ऊर्फ पिनकी के साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-60/1995 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 368, 376(2)(जी) व सपठित धारा-3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0 एक्ट, कन्नौज द्वारा दिनांक 16.12.2011 को 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12-07-2015 तक 04 वर्ष 00 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 00 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 05 सहअभियुक्तों को मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी को जेल में रखने एवं आगे निरूद्ध रखने से पुन: अपराध से बचा जा सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामस्वरूप पुत्र श्री रामेश्वर निवासी जनपद-कन्नौज को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामस्वरूप (बन्दी संख्या-80/2011 पुत्र श्री रामेश्वर निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-164/2016/812(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, कन्नौज।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-164/2016/812@22-2-2016-17(209)/2016

दिनांक 26 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, कन्नौज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामस्वरूप पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी-पाला, थाना-तिर्वा, जिला-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी ने विद्यालय जा रही कक्षा 09 में पढ रही लड़की का अपहरण कर 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 30.12.1994 को नाबालिग लड़की नीतू देवी ऊर्फ पिनकी के साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-60/1995 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 368, 376(2)(जी) व सपठित धारा-3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0 एक्ट, कन्नौज द्वारा दिनांक 16.12.2011 को 10 वर्ष के क्ठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12-07-2015 तक 04 वर्ष 00 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 00 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 05 सहअभियुक्तों को मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी को जेल में रखने एवं आगे निरूद्ध रखने से पुन: अपराध से बचा जा सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रामस्वरूप पुत्र श्री रामेश्वर निवासी जनपद-कन्नौज को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।